

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ० सौम्या झा, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

10 / 2025

प्रविष्टि दिनांक

07.03.2025

जरिये सूरजभान सिंह प्रवर्तन निरीक्षक देवली

– प्रार्थी

बनाम

मै.बाबू खां पुत्र नाथू खां मुसलमान निवासी मोहल्ला वार्ड नं. 07 देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक

– अप्रार्थी

जब्तशुदा 08 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थित:-

- 1- परोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
- 2- श्री हंसराज धाकड अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 13.05.2025

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 04.03.2025 को प्रवर्तन निरीक्षक बहमराह जिला रसद अधिकारी टोंक के साथ घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण के निरीक्षण/जाँच हेतु संयुक्त जाँच दल के रूप में मैसर्स बाबू खां पुत्र श्री नाथू खां मुसलमान मोहल्ला वार्ड नम्बर 07 देवडावास तहसील दूनी पहुँचे। मौके पर व्यवसाय स्थल की जाँच/तलाशी लेने पर व्यवसायी श्री बाबू खां द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को अवैध भण्डारण के रूप में अवैध रूप से प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 8 घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर रखे पाये गये। अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 8 सिलेण्डर की मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र०सं०	एस. आर. नं.	कम्पनी का नाम	मानक भार (मात्रा K.G.)	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
1	261018	BPCL	14.2	15.4	15.4	0
2	305087	BPCL	14.2	15.6	26.6	11



जिला कलेक्टर
टोंक

3	204055	BPCL	14.2	15.6	29.6	14
4	868701	BPCL	14.2	15.8	22.8	7
5	010811	BPCL	14.2	15.6	29.6	14
6	148020	BPCL	14.2	15.7	15.7	0
7	014079 T	BPCL	14.2	15.8	27.5	11.7
8	301499 S	BPCL	14.2	15.8	29.6	13.8
योग						71.5

अतः उक्त जब्तशुदा 8 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 71.5 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारित करते हुए, उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। प्रकरण मे परोकार सरकार एवं अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

परोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 04.03.2025 को मन् प्रवर्तन निरीक्षक बहमराह जिला रसद अधिकारी टोंक के साथ घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण के निरीक्षण/जाँच हेतु संयुक्त जाँच दल के रूप में मैसर्स बाबू खां पुत्र श्री नाथू खां मुसलमान मोहल्ला वार्ड नम्बर 07 देवडावास तहसील दूनी पहुँचे। मौके पर व्यवसाय स्थल की जाँच/तलाशी लेने पर व्यवसायी श्री बाबू खां द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को अवैध भण्डारण के रूप में अवैध रूप से प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 8 घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर रखे पाये गये। अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 8 सिलेण्डर की मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई। इस प्रकार श्री बाबू खां द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण किया जाना पाया गया, जिसके बारे में कोई साक्ष्य उनके द्वारा नहीं दिया गया। अतः 8 गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु मैसर्स दूनी इण्डेन ग्रामीण वितरक देवली के प्रतिनिधि श्री हरिराम धाकड की सपुर्दगी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द-बुर्द नहीं करें। इस प्रकार श्री बाबू खां द्वारा एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघन किया गया है। अतः उक्त जब्तशुदा 8 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 71.5 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है, जिसे राजसात किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण का उचित निस्तारण किया जावे।

परोकार सरकार की बहस/अभिभाषक अप्रार्थी के कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि० 04.03.2025 के अनुसार




जिला कलेक्टर
टोंक

भै.बाबू खां पुत्र नाथू खां मुसलमान निवासी मोहल्ला वार्ड नं. 07 देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक की दुकान/व्यवसाय स्थल की जांच करने पर मौके पर 14.2 KG क्षमता के 08 सिलेण्डर मिले। घरेलू गैस सिलेण्डर को व्यवसायी द्वारा अवैध रूप से मौके पर कार्य में प्रयुक्त किया जा रहा था। सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है ।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र०सं०	एस. आर. नं.	कम्पनी का नाम	मानक भार (मात्रा K.G.)	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
1	261018	BPCL	14.2	15.4	15.4	0
2	305087	BPCL	14.2	15.6	26.6	11
3	204055	BPCL	14.2	15.6	29.6	14
4	868701	BPCL	14.2	15.8	22.8	7
5	010811	BPCL	14.2	15.6	29.6	14
6	148020	BPCL	14.2	15.7	15.7	0
7	014079 T	BPCL	14.2	15.8	27.5	11.7
8	301499 S	BPCL	14.2	15.8	29.6	13.8
योग						71.5

घरेलू गैस के व्यवसायिक कार्यों में दुरुपयोग रोकने की कार्यवाही हेतु जांच दल द्वारा जांच करने पर दुकान/व्यवसाय स्थल पर मौके पर 08 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर बाबूभवानी तथा हरिराम धाकड के हस्ताक्षर हैं। सुपुर्दगीनामे पर भी बद्रीनारायण, रोहित तथा हरिराम धाकड के हस्ताक्षर हैं तथा मैसर्स दूनी इण्डेन ग्रामीण वितरक गैस एजेन्सी देवली के प्रतिनिधि श्री हरिराम धाकड के हस्ताक्षर हैं जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी में दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय-समय पर सब्सिडी दी जाती है को मौके पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का भण्डारण, अवैध रूप से कार्य में प्रयुक्त कर दुरुपयोग किये जाने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 08 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय 71.5 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर टोंक